भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2981
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

**ई-कोर्ट एकीकृत मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वय**

**2981 श्री भाष्यम् रामा कृष्ण :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में ई-कोर्ट एकीकृत मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके कार्यान्वयन चरण के अंतर्गत शुरू की गई प्रमुख पहलें क्या हैं ;

(ख) क्या इस परियोजना से न्यायालयों में मामला प्रबंधन, डिजिटल फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई में सुधार हुआ है ;

(ग) आंध्र प्रदेश में परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है, जिसमें राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत कंप्यूटरीकृत, डिजिटलीकृत और एकीकृत न्यायालयों की संख्या शामिल है; और

(घ) राज्य में ई-कोर्ट सेवाओं तक व्यापक पहुंच सक्षम करने हेतु वादियों और अधिवक्ताओं के बीच डिजिटल साक्षरता और जागरूकता में सुधार हेतु क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) :** ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को न्यायिक प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से पूरे देश में चरणबद्ध रीति से कार्यान्वयन किया जा रहा है। जारी चरण अर्थात [चरण 3 (2023-27)] अभिलेखों के डिजिटलीकरण, आभासी सुनवाई के व्यापक उपयोग, न्याय संस्थानों में गहरी अंतरसंचालनीयता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहित उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से डिजिटल, कागज

रहित और अधिक बुद्धिमान न्यायालयों की ओर परिवर्तन की परिकल्पना करता है। परियोजना के चरण-3 के अधीन प्राप्त प्रगति का विवरण **उपाबंध-1** पर है।

**(ख) :** ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन ने मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) 4.0 और जस्टआईएस एप्लिकेशन के माध्यम से मामला प्रबंधन में सुधार किया है, जिससे न्यायाधीशों को डिजिटल रूप से मामलों का प्रबंधन और निगरानी करने में सक्षम बनाया जा सकता है। इसने ई-फाइल प्रणाली के माध्यम से डिजिटल फाइलिंग को मजबूत किया है, जो मामलों और संबंधित आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग और न्यायालय फीस के ऑनलाइन भुगतान के लिए ई-संदाय की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं ने कार्यान्वित न्यायालयों में आभासी और हाइब्रिड न्यायालय की सुनवाई को सक्षम किया है । इन पहलों ने न्यायिक प्रशासन और सेवा वितरण की दक्षता, पहुंच और पारदर्शिता को बढ़ाया है।

**(ग) :** ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में इस स्कीम के अधीन 658 न्यायालय परिसरों का कंप्यूटरीकरण और एकीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश में 16 न्यायालय परिसरों का डिजिटलीकरण किया गया है।

**(घ) :** ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन, आंध्र प्रदेश सहित मुकदमेबाजों और वकीलों के बीच डिजिटल साक्षरता और जागरूकता में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षमता निर्माण कार्यशालाएं, उपयोगकर्ता मैनुअल, वीडियो ट्यूटोरियल और उच्च न्यायालयों और राज्य न्यायिक अकादमियों के माध्यम से आयोजित आउटरीच पहल शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, ई-सेवा केंद्र ई-फाइल पोर्टल पर पंजीकरण, याचिकाओं की स्कैनिंग और अपलोड करने, न्यायालय फीस के ऑनलाइन भुगतान, मामले की स्थिति पूछताछ, प्रमाणित प्रति आवेदनों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य डिजिटल न्यायालय सेवाओं तक पहुंच में मुकदमेबाजों और अधिवक्ताओं की सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय सेवाएं, जिला न्यायालय की वेबसाइटें और ई-न्यायालय मोबाइल एप्लिकेशन मामले की स्थिति, कारण सूची, निर्णय, आदेश और अन्य न्यायालय संबंधी जानकारी तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करते हैं। ये पहल डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देती हैं, जागरूकता बढ़ाती हैं और ई-न्यायालय सेवाओं तक व्यापक पहुंच को सुगम बनाती हैं।

**********

**उपाबंध-1**

**ई-कोर्ट एकीकृत मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2981 जिसका उत्तर तारीख 13.08.2026 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

**ई-न्यायालय चरण –3 के अधीन प्राप्त प्रगति का विवरण:**

| क्र.सं. | घटक का नाम | उपलब्धि |
|---|---|---|
| 1. | पूरी तरह से कार्यात्मक ईसेवा केंद्र | 1806 को न्यायालय परिसरों में स्थापित किया गया |
| 2. | कागज रहित न्यायालयों के लिए अवसंरचना की स्थापना | 474 न्यायालयों में आवश्यक हार्डवेयर से सुसज्जित हैं। |
| 3. | मजबूत डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करके न्यायालय के मामलों की सुनवाई के लिए वर्चुअल न्यायालय का विस्तार। | 538 न्यायालय सुसज्जित हैं |
| 4. | संपूर्ण न्यायालय अभिलेख का डिजिटलीकरण - विरासत अभिलेख और नए मामलों की फाइलिंग दोनों | 753.60 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया |
| 5. | न्यायालय के मामले की ई-फाइलिंग का कार्यान्वयन | 4519 न्यायालय |
| 6. | वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपलब्ध अवसंरचना को बढ़ाने और उन्नत करने का उपबंध | 7553 प्रतिष्ठानों में न्यायालयों, जेलों और अस्पतालों सहित वीसी सुविधाएं हैं। |
| 7. | न्यायालय रूम लाइव ऑडियो-विजुअल स्ट्रीमिंग प्रणाली | 11 उच्च न्यायालय |
| 8. | आईसीटी अवसंरचना की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सौर सुविधाएं | 1626 न्यायालय परिसर सुसज्जित हैं |
| 9. | नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस (एनस्टैप) सुविधा प्रदान करना | 6895 न्यायालयों में एन.एस.टी.ई.पी. सुविधा है। |
| 10. | सभी उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय की वेबसाइटों का एस3डब्ल्यूएएस प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन | 734 न्यायालय स्थलों को स्थानांतरित किया गया |
| 11. | दूसरे चरण में न्यायालयों और न्यायिक अधिकारियों के लिए अतिरिक्त हार्डवेयर | 18380 न्यायालयों ने प्रदान किया |
| 12. | न्यायालयों, पुलिस, जेलों, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं जैसे विभिन्न स्तंभों के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के साथ एकीकरण | सभी उच्च न्यायालयों ने आईसीजेएस को लागू किया है |
| 13. | सभी हितधारकों का प्रशिक्षण | 2372 प्रशिक्षण आयोजित किए गए |
| 14. | संयोजकता | सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क (एसडीडब्ल्यूएएन) तकनीक से जुड़े 174 साइट |

********